गुजरात में बिजली की मांग

*109. **श्री गोपाल सिंह वी० सोलंकी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बिजली का उत्पादन इसकी मांग के अनुरूप नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो गुजरात की बिजली की आवश्यकता को किन-किन राज्यों द्वारा पूरा किया जा रहा है ;

(ग) क्या वर्तमन स्थिति के अनुसार इस राज्य में वर्ष 1994–95 तक बिजली की कमी बने रहने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के पी० साल्वे) : (क) अप्रैल-जनवरी, 1993 के दौरान गुजरात में ऊर्जा की मांग 21860 मि०यू० एवं उपलब्धता 21203 मि०यू० (इसके स्वयं के 17026 मि०यू० उत्पादन सहित) थी ।

(ख) गुजरात द्वारा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति अपने स्वयं के विद्युत उत्पादन, केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों में इसके हिस्से और पड़ौसी राज्य महाराष्ट्र एवं उत्तरी क्षेत्र की प्रणालियों से की जाती है ।

(ग) चौदहवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में वर्ष 1994--95 के अंत में अनुमानित ऊर्जा कमी लगभग 11.3% होगी ।

(घ) गुजरात में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने हेतु किये गये विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं:---विद्यमान विद्युत केन्द्रों के उत्पादन को अधिकतम करना, विद्युत केन्द्रों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण संबंधी कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन एवं ऊर्जा संरक्षण उपाय करना आदि । प्रणाली संबंधी परिस्थितियां उपयुक्त होने पर पड़ौसी प्रणालियों से भी गुजरात को सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (डी०ए०वी०पी०) के पास समाचार पत्रों के लंबित बिल

*110 **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ सीम अफजल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1993 तक विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय को समाचार-पत्रों के बिलों की कुल कितनी राशि का भुगतान करना था ; और

(ख) इन बिलों का भुगतान पिछली किन-किन तारीखों से लम्बित है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंहदेव): (क) और (ख) 31 जनवरी, 1993 तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के पास 50,888 बिल निपटान के लिए लंबित थे । इनमें से 2,000 बिल अप्रैल, 85 से अगस्त, 91 तक, 13,925 बिल सितम्बर, 91 से अक्तूबर, 92 तक तथा शेष 34,963 बिल नवम्बर, 92 से जनवरी, 93 तक की अवधि से संबंधित थे ।

IAATS projects in Libya

*111. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of CIVIL A\ TATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the International Airports Authoriy of India has suffered a loss of over Rs. 21 crores till M!arch, 1991 on three projects in Libya; and

(b) if so, what are the details in this regard and what are the reasons for such a huge amount of accumulated losses on these projects?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GULAM NABI AZAD): (a) and (b) The International Airports Authority of India have suffered losses on, their construction projects taken up in Libya from 1976 to 1986, details of which are given below:—

Name of Project	Cost	Total Loss suffered upto March, 1991
	(Rupees in crores)	
1. New Ghat.	92.16	4.42
2. Brak Phase—I	35.34	2.33
3. Brak Phase—II	65.74	14.62

The reasons for the losses are inordinate delay on the part of the client in acceptance of works and making payments, that too, partly in the forms of crude oil instead of hard currency, interest burden consequent on client not releasing the payments in US dollars as per the contract conditions and imposition of income-tax on assumed profit instead of actual losses incurred by the International Airports Authority of India.

देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मास्टर प्लान

***112. श्री महेश्वर सिंह :** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कतिपय योजनायें या मास्टर प्लान प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई मास्टर प्लान/योजना भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्यटक सुविधाओं में वृद्धि करने से संबंधित परियोजनायें/स्कीमें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं । पर्यटन के विकास के लिए मास्टर प्लान महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश राज्यों से प्राप्त हो गई हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रस्तुत की गई मास्टर प्लान में शामिल हैं--पर्यटक गंतव्य-स्थलों का विकास, आवास, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं मनोरंजन की सुविधाओं, रोमांचकारी पर्यटन, तीर्थ पर्यटन, मानव संसाधन विकास, पैकेज यात्राओं, प्रचार और राज्य में केन्द्रीकृत आरक्षण प्रणाली की योजनायें। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है । तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकार से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता देगी ।